प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

वांछित हत्याभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः-22.02.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही/शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में क्षेत्राधिकारी सिधौली श्री कपूर कुमार के नेतृत्व में दिनांक 21.02.2026 को थाना अटरिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 धारा 3(5)/103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त **प्रथम मिश्रा उर्फ देबू मिश्रा पुत्र नीरज मिश्रा निवासी ग्राम कस्बा व थाना संडीला जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष** को स्थानीय पुलिस टीम द्वारा बालेश्वरधाम मन्दिर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त प्रथम व मृतका उमा देवी जो आपस में बुआ-भतीजे थे। जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्त ने मृतका को धक्का देकर लोहे की बांट से उनके सिर पर मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर एवम् प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार चलती रहेगी।

नाम/पता अभियुक्त- प्रथम मिश्रा उर्फ देबू मिश्रा पुत्र नीरज मिश्रा निवासी ग्राम कस्बा व थाना संडीला जनपद हरदोई।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 45/26 धारा 3(5)/103(1) थाना अटरिया सीतापुर।

पुलिस टीम – प्र0नि0 श्री राकेश कुमार गुप्ता, उ0नि0 राधेश्याम यादव ,उ0नि0 सतेन्द्र सिंह ,उ0नि0 राम मोहन सिंह, आरक्षी संजू सिंह व आरक्षी अश्वनी सिंह।

थाना अटरिया - जनपद- सीतापुर